

ESTIMATES COMMITTEE TWENTY-NINTH REPORT

SHRI SATYENDRA NARAYAN SINHA (Aurangabad): I beg to present the Twenty-ninth Report of the Estimates Committee on the Ministry of External Affairs—working of Indian Diplomatic Missions Abroad.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

TWENTY-FOURTH REPORT

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I beg to present the Twenty-fourth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings (1978-79) on "Expenditure on Hiring of Storage Space by Public Undertakings" and Minutes of the sitting of the Committee relating thereto.

12.23 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) PROTECTION TO BUDDHIST BHIKSHUS AND THEIR RELIGIOUS CENTRES

श्री भार० एल० कुरील (मोहनबाग संघ) : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार की ओर से जहाँ हिन्दू तीर्थ स्थानों अथवा मंदिरों के ऊपर कई सरकारी विभागों से पानी की तरह अनव्यय कर के उनके जीर्णोद्धार अथवा पर्यटन केन्द्र बनाने की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं वहीं दूसरी ओर बौद्धों के अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थों एवं मंदिरों को नष्ट होने से बचाने में भी असमर्थता एवं उपेक्षा बरती जा रही है। इसका ही नहीं, इस संवत्स्र में यह भी कहा जा सकता है कि कहीं कहीं तो सरकार बौद्ध तीर्थ एवं मंदिरों को हिन्दू अर्वाचनस्थलों के द्वारा सुविधाने के प्रयास को भी अंगीकार दे रही है जो सीधे-सीधे बौद्ध-जनों की धर्म भावनाओं को अघात पहुँचाने की कार्यवाही ही कहੀ जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, निकट के स्थानीय स्कूल के प्रधान व प्रबन्धकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध केन्द्र श्रीवस्ती के "जेतवन हाई स्कूल" को हड़पने के लिए इस के प्रबन्धक विजयगण एं स मित्र के बल्लभों का अबरवस्ती हस्तांतर करवाया गया, बिहार में जहाँ की पुला कर भिक्षुओं का सम्मान कदावाया अथवा और ...

MR. SPEAKER: Mr. Kurrel you give on statement and read here another statement.... (Interruptions) Now you are reading, but earlier you were reading some other statement. You should read out only the statement that you have given me.

श्री भार० एल० कुरील : भिक्षुओं को पिटाया गया तथा जान से मार देने की धमकी दी गई। श्रीवस्ती के भिक्षुगणों को यह भी खबर हो रहा है कि बौद्ध धर्ममालाये और मंदिरों तथा बिहारों को भी ये लोग अबरवस्ती हड़प सकते हैं तथा भिक्षुओं एवं निवासियों को जान से मार सकते हैं।

सरकार बौद्ध भिक्षुओं की सुरक्षा और उन के धार्मिक स्थलों जैसे बौद्ध धर्ममालाओं, मंदिरों और बिहारों आदि की सुरक्षा हेतु क्या कोई कदम उठा रही है? यदि नहीं तो क्यों?

यदि हाँ, तो अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध केन्द्र श्रीवस्ती के "जेतवन हाई स्कूल" को हड़पने की घटना कैसे हुई?

क्या सरकार श्रीवस्ती के "जेतवन हाई स्कूल" के निकट के स्कूल के प्रधान व प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी जिन्होंने अबरवस्ती हस्तांतर कर कर इसे हड़पने का प्रयत्न रखा? यदि नहीं, तो क्यों?

(ii) REPORTED ATROCITIES BY POLICE ON ADIVASIS IN BIHAR

श्री विनायक प्रताप यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इम्पियन एक्स्प्रेस, नई दिल्ली, शनिवार मार्च 24, 1979 एवं अन्य राष्ट्रीय अखबारों में उपे

"POLICE TERROR IN BIHAR ADIVASI VILLAGE"

को और यह विभाग का ध्यान दिलाते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार राज्य के सम्मिलित इलाकों के पंचसूता अंगिक के लगभग 15 हजार अदिवासी पुष्टि गौरी काण्ड एवं अन्य आतंकों से शोक से भर जाँड़ कर आच कहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर और नाजुक मामला है। इसलिये आपकी धाया से मैं इम्पियन एक्स्प्रेस का कुछ अंश पढ़ कर सुनाता हूँ:—

"The tribal leader and president of the Adivasi Mukti Morcha, Mr. Shuvendra Soren, alleged here to-day that truckloads of Central Reserve

Police Force were raiding almost every village in the district, picking up adivasis and torturing them with rifle butts and lathis.

'No Adivasi can be found in as many as 30 villages of Pathargama today', he asserted and charged the CRPF with acting on the orders of money lenders and big landholders."

समुच्चे आदिवासी इलाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस ठेके-दारों, जमीन मालिकों और सुदखोरों के हथकण्डे बन कर आदिवासियों पर सितम के पहाड़ डाल रही हैं। बिहार में रक्त ही भसक हो रहे हैं। जो यहां से सरकार-सेंट्रल रिजर्व पुलिस आदिवासियों की रक्षा के लिए भेज रही है, वे ही पूंजीपतियों के साथ मिलकर आदिवासियों को वहां से उखाड़ रहे हैं। इसी तरह की घटनाओं की गुंज बिहार के हजारों बाग, रांची, सिंहभूमि और पलामू में भी हो रही है। समुच्चे आदिवासी आबादी में अपहीनम मचा हुआ है। यदि ब्रिटिश भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो बिहार के तो टुकड़े टुकड़े हो गेहो, राष्ट्रीय एकता भी खतरे में पड़ सकती है। और भारत मां का सताया हुआ सन्तान बगावत का झंडा उठा लेगा।

MR. SPEAKER: You cannot go on adding.

Now you are making a new statement. You are making a totally different statement. Mr. Kacharalul Hemraj Jain.

(iii) A FILM ENTITLED 'GREAT GAMBLER'

श्री कचर लाल हेमराज जैन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन में पेश करना चाहता हूँ।

"वर्तमान में फिल्म उद्योग में बम्बई के एक फिल्म निर्माता द्वारा निर्मित फिल्म 'ग्रेट गैम्बलर' का निर्माण किया गया है जो कि निकट भविष्य में प्रकाशित होने जा रही है। इसकी स्वीकृति फिल्म सेक्टर बोर्ड द्वारा दे दी गई है। यह फिल्म केवल नाच से ही नहीं बल्कि धमिली एवं भावी पीढ़ी की भ्रमिल करने में परिणत है। इस के प्रचलन से पूर्व इसकी जांच संसदीय समिति नियुक्त कर, आवश्यक जांच करायी जाने के उपरान्त ही प्रकाशित करने की स्वीकृति दी जावे। देश में वर्तमान में हो रही गुब्बा गरीबी, डाकाजनी, सामाजिक तत्व, महिलाओं की इज्जत की उड़-काड़ को यह मजर रबते हुए इसकी प्रमोशन से जांच करना अनिवार्य है ? मेरा भाव है कि समुच्चे है कि देश के नवजवानों के धार्मिक और ज्ञान में रबते हुए आवश्यक कार्यवाही कर के देश में स्वच्छ वातावरण बनाने में सहायक हों।

MR. SPEAKER: Prof. DMH Chakravarty. He is not here. Mr. Chandrappan.

(iv) WATER POLLUTION CAUSED BY BIRLA RAYON FACTORY, MAVOOR (KERALA) IN CHALTYAR RIVER.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): Sir, I wish to make the following statement under Rule 377 and request the Minister concerned to take immediate steps and make a statement in the House as soon as possible.

I The Birlas have a rayons factory at Mauoor in Calicut district of Kerala. Since its inception, this Birla firm remained in the mids of controversies and it led the Kerala Government last year to promulgate Ordinance taking over the management of this firm.

But, the Birlas could get a supreme court judgment in their favour and are still running the firm. It has also been reported that this Birla firm has expanded its productive capacity even when the Central Government had refused to sanction their expansion schemes. It was done in complete violation of the provisions of the Industrial Development Regulations Act. This is a very serious offence, but the Birlas could get away with that. I want the present Government to take serious note of this matter and take actions against the Birlas and make them behave.

In the last few weeks a serious situation has arisen around a large area in Mavoor where the said Birla factory is situated. In violation of all norms of industry and various agreements, the Birla firm is pumping out the polluted water with poisonous substances in it to Chaltiyar river. The public in Calicut and Malappuram districts protested against this. Tens of thousands of people in Calicut and Malappuram districts are the victims of this serious air and water pollution.